

राष्ट्रीय न्यास

क्षमता विकास, बढ़ाये विश्वास

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110 060 दूरभाष: 011 43187878
ईमेल: contactus@thenationaltrust.in वेबसाइट: www.thenationaltrust.gov.in



विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों की सूची	3-4
2.	राष्ट्रीय न्यास के स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सूची	5
3.	परिचय	6
4.	स्थानीय स्तरीय समिति (LLC)	6-7
5.	कानूनी संरक्षक की नियुक्ति	7
6.	संस्थाओं का पंजीकरण (RO)	7-8
7.	राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)	8
8.	राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)	8
9.	योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी की गई निधि:	9
9.1.	दिशा (0-10 वर्ष के दिव्यांगजनों के लिए बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)	9
9.2.	विकास (10 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगों के लिए दिन में देखभाल)	9
9.3.	दिशा सह-विकास योजना (डे-केयर)	9
9.4.	समर्थ (राहतकारी देखभाल आवासीय योजना)	9-10
9.5.	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)	10
9.6.	समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय)	10
9.7.	'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना	10-11
10.	संपर्क - 'जरूरत के समय में' योजना	11
11.	राष्ट्रीय डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाएँ और उत्तर-पूर्व शिखर सम्मेलन	11-12
12.	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलाप के विस्तार पर बैठक	12
13.	वार्षिक आम बैठक (AGM) 2021	13
14.	"संपर्क- जरूरत के समय में" योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन	13-14
15.	अब तक शामिल न किए गए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण हेतु बढ़ावा देने के लिए गठित उप-समिति की बैठक	14
16.	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा 28-29 दिसंबर, 2021 को गुवाहाटी, असम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	15
17.	4 और 5 मार्च, 2022 को केवडिया, गुजरात में दो दिवसीय संवेदीकरण शिविर	15
18.	21 मार्च 2022 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर एक आभासी (वर्चुअल) बैठक	16

19.	हितधारकों के विभिन्न समूहों से जुड़े अनेक मुद्दों पर राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित आभासी बैठक	16-17
20.	शिकायत निवारण	17
21.	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में संशोधन	18
22.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	18
23	अस्वीकरण	18
वार्षिक लेखा 2021-22		



1. राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता	संपर्क
1	सुश्री अंजली भावड़ा	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय न्यास मंडल की अध्यक्ष, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 16बी, बड़ा बाजार रोड, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली	secretaryda-msje@nic.in 011-24369055
2	श्री निकुंज के सुंदराय	संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, 16बी, बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली	js_ceo_nt@thenationaltrust.in 011- 43187801
3	श्री किशोर बी. सुरवड़े, आईएसएस	उप महानिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 514, (बी-II), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	ddg-depwd@gov.in 011-24364394
4	श्री संजय पाण्डेय	वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर - 609-ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	s_pandey@gov.in/jsfa- mosje@gov.in 011-23387924 23073598
5	संयुक्त सचिव (शिक्षा)	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	Yadavsk.up@nic.in 011-23387781
6	डॉ. एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार (एनएसएपी और आईटी)	आर्थिक सलाहकार (एनएसएपी और आईटी) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	Srinivas.rn@nic.in 011-23386411
7	संयुक्त सचिव (शहरी विकास)	शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108	011-23062477
8	संयुक्त सचिव सामाजिक सुरक्षा प्रभाग (श्रम और रोजगार)	सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा नंबर 106, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग। नई दिल्ली-110001	011-23710239
9	संयुक्त सचिव (महिला एवं बाल विकास)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23388576
10	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	011-23061195

11	सुश्री उमा एस सेठ अतिरिक्त निदेशक, फिक्की	अतिरिक्त निदेशक (फिक्की सीएसआर के लिए टीम लीड), फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली – 110 001	uma.seth@ficci.com. 011-23357243 9899324304
12	श्री जिग्नेश जोशी एसोचौम के प्रतिनिधि, सीईओ, जेएमपीसी बिल्टलाइन प्राइवेट लिमिटेड	प्रतिनिधि एसोचैम, सीईओ, जेएमपीसी बिल्टलाइन प्राइवेट लिमिटेड 904-905, प्रेसिडेंट हाउस के सामने: सी.एन. विद्यालय, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-3800015	jignesh.joshi@jmpcbuiltline.com 079-26422432 9898989444
13	श्री गोपाल सिंगराजू, सदस्य, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	सदस्य, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नेशनल कमेटी ऑन स्पेशल एबिलिटीज और मुख्य परिचालन अधिकारी – रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, 2-बी, ब्लॉक-बी, रेंट्री अपार्टमेंट, संख्या 21 वीनस कॉलोनी, लिंड स्ट्रीट क्रॉस, अलवरपेट – 600018, चेन्नई	gopal.singaraju@rbs.com 9840790120
14	श्री अभय कुमार दुबे	विकलांग व्यक्ति (श्री सीपी, स्वपरायणता, एमडी) अभिभावक संघ, 131, इंद्रपुरी कॉलोनी ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008, मध्य प्रदेश	abhaydubeyjbp@gmail.com 9425150672
15	सुश्री रुबी सिंह	एएलएफएए (असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक ऐडल्ट), सी/ओ कर्नल पीके सिंह, #5/4, वेनरपेट ऑफिसर्स कॉलोनी, ओल्ड रेस कोर्स रोड, ऑस्टिन टाउन बैंगलोर – 560047	alfaa2010@gmail.com; rubysingh.pms@gmail.com 9741418103
16	डॉ. सपम जसोवंता सिंह	57, सगोलबंद तेरा पुखरी मैपल इंफाल वेस्ट, इंफाल – 795001, वेस्ट मणिपुर	hdfoundationmanipur@gmail.com; sapamjasowanta2399@gmail.com 9612157246
17	श्रीमती पूजा सुरेशभाई वघासिया	राजन, शिवसृष्टि-2, पेडक रोड, भिंड भारतीय स्कूल के पीछे, राजकोट – 360003	patelridhi007@gmail.com 8128138092
18	श्री गुरइकबाल सिंह बेदी	स्वपरायणता इंडिया टुडे, 5, हरगोबिंद नगर सरहिंद रोड, पटियाला – 147004, पंजाब	membernationaltrust@gmail.com; presidentautismindiatoday@gmail.com 9356767367, 9417686400
19	डॉ. आशीष कुमार	आस्था पुनर्वास केयर सोसाइटी, एस/ओ जनदेव सिंह, ब्लॉक बी स्वास्तिक एन्क्लेव, फ्लैट नंबर 2ए, बक्सी बाजार, कटक सदन, ओडिसा – 753001	ashish_ashtha@rediffmail.com 9338128085
20	श्री पुष्प पाल सिंह	पूजा सेवा संस्थान, सी-47 राजेंद्र नगर बरेली, इज्जत नगर, उ.प्र.	designviews540554@gmail.com; designviews540554@yahoo.com 9568181368, 9412288074

2. राष्ट्रीय न्यास के स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	ई-मेल आईडी/फोन नं.
1.	श्री यू.के. शुक्ला	कार्यक्रम निदेशक	ala@thenationaltrust.in 011-43187804
2.	श्री नवनीत कुमार	उप निदेशक	po@thenationaltrust.in 011-43187805
3.	श्री अमित कुमार आशुतोष	लेखा अधिकारी	ao@thenationaltrust.in 011-43187806
4.	श्री एस.के. टुकराल	निजी सचिव	Pstojs-ceo@thenationaltrust.in 011-43187801
5.	श्रीमति सुषमा घई	निजी सचिव	contactus@thenationaltrust.in 011-43187822
6.	श्रीमति श्रेष्ठा साहनी	निजी सहायक	shreshtha@thenationaltrust.in 011-43187824
7.	श्रीमति मोनिका वाधवा	सहायक	monika@thenationaltrust.in 011-43187815
8.	श्रीमती वंदना चोपड़ा	प्रोग्राम एसोसिएट	vandana@thenationaltrust.in 011-43187813
9.	सुश्री मुस्कान खुल्लर	प्रोग्राम एसोसिएट	muskan@thenationaltrust.in 011-43187809
10.	श्री बी.एस. नेगी	यू.डी.सी.	bharat@thenationaltrust.in 011-43187826
11.	श्री रामबिलास राजभर	एम.टी.एस.	
12.	श्रीमती रेखा ममगौन	एम.टी.एस.	011-43187878
13.	श्री राम आशीष गौड़	एम.टी.एस.	

संविदा पर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	ई-मेल आईडी/फोन नं.
1.	श्री जसविंदर पाल सिंह खेरा	लेखा सहायक	jasvinder@thenationaltrust.in 011-43187834
2.	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक	tilak@thenationaltrust.in 011-43187833
3.	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक	pushpa@thenationaltrust.in 011-43187819
4.	श्रीमती अनीता रानी	कार्यालय सहायक	anita@thenationaltrust.in 011-43187835
5.	श्री रौनक पाल	तकनीकी कार्यकारी (आईटी)	rounok@thenationaltrust.in 011-43187826
6.	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी	

3. परिचय

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संसद के एक अधिनियम, 1999 द्वारा बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।

अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- i. दिव्यांगजन को समर्थ और सशक्त बनाना, जिससे कि वे पूर्ण रूप से समाज से जुड़कर यथा संभव स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
- ii. दिव्यांगजन को अपने परिवार के बीच रहने के लिए व उनकी मूलभूत सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना;
- iii. पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना जिससे वे दिव्यांगजन के परिवार को पारिवारिक संकट अवधि के दौरान आवश्यक आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करा सकें;
- iv. दिव्यांगजन की समस्याओं का निपटारा करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलती;
- v. दिव्यांगजन के संरक्षकों या माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख-रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
- vi. दिव्यांगजन जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
- vii. दिव्यांगजन की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना; और
- viii. अन्य कार्य, जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशांगिक हों।

राष्ट्रीय न्यास मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए काम करता है – कानूनी सहायता व कल्याणकारी योजनाओं का संचालन। स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान की जाती है, जबकि योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास के अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय व देखभाल एवं सशक्तिकरण करना शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन के समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं उनको पूर्ण भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

4. स्थानीय स्तरीय समिति (LLC)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत प्रत्येक जिले में एक स्थानीय स्तरीय समिति तीन साल की अवधि के लिए या जब तक यह राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा पुनर्गठित की जाए, निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाती है:-

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला के जिला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा;
- किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- एक दिव्यांगजन सदस्य जो विकलांगता अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (क) में परिभाषित हो।

स्थानीय स्तरीय समिति का मुख्य कार्य कानूनी संरक्षक के आवेदन को जाँचना, नियुक्ति करना, निगरानी करना और हटाना है। स्थानीय स्तरीय समिति जागरूकता फैलाना, दिव्यांगजन का समावेश करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना जैसे गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 720 एलएलसी का गठन किया गया है जिसमें डीसी/डीएम एलएलसी के अध्यक्ष हैं।

5. कानूनी संरक्षक की नियुक्ति

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14-17, स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षण को दर्शाती है। कानूनी संरक्षकता का प्रावधान आवश्यकता के आधार पर है।
- एक संरक्षक वह व्यक्ति है जो किसी दिव्यांगजन व उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व वहन करेंगे जिसके लिए उन्हें अभिभावक नियुक्त किया गया है। वह व्यक्ति उस दिव्यांगजन की ओर से सभी कानूनी फैसले लेता है जिसके लिए उसको कानूनी अभिभावक बनाया गया है।
- स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांग दिव्यांगजन एक ऐसी विशेष स्थिति में होते हैं जिसमें वे 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी अपने दैनिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने में तथा स्वयं के सुधार के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। अतः उन्हें जीवनभर एक कानूनी अभिभावक की आवश्यकता होती है जो उनकी रुचि के आधार पर उनके फैसले का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहुविकलांग दिव्यांगजन के मामलों में उन्हें कानूनी अभिभावक की आवश्यकता सीमित हो सकती है क्योंकि वर्तमान उपलब्ध तकनीकी और/या वैज्ञानिक सुविधा उन्हें स्वयं के फैसले हेतु सक्षम बनाती है तथा कानूनी अभिभावक की आवश्यकता को कम कर सकती है तथा दिव्यांगजनों को जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव में स्वतन्त्रता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन हेतु अभिभावकों की नियुक्ति करने के लिए नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनकी रुचियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए भी एक ढांचा प्रदान करता है। सभी फार्म कानूनी संरक्षकता मॉड्यूल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- वर्ष 2016 से पहले 30304 अभिभावक ऑफलाइन तरीके से नियुक्त किए गए थे। नई योजना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के माध्यम से, 21565 अभिभावक नियुक्त किए गए हैं, जिसके चलते अब तक कुल अभिभावकों की संख्या 51,869 हो गई है। इसमें 2021-22 में अनुमोदित और सत्यापित 5703* कानूनी अभिभावक आवेदन शामिल हैं।

***अस्वीकरण:- उपरोक्त आंकड़ा योजना प्रबंधन प्रणाली की तिथि 31 मार्च 2022 के अनुसार है। यह आंकड़ा किसी मामले की समीक्षा के दौरान स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार बदल सकता है।**

6. संस्थाओं का पंजीकरण

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, 'स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता' के क्षेत्र में काम कर रहा कोई भी स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता का संघ या दिव्यांग व्यक्तियों का संघ, जो पहले से ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25, या सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अधिनियम और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित राज्य में और

नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो, वह राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- ii. पंजीकरण के लिए प्रस्ताव ऑनलाइन फॉर्म भरकर फॉर्म 'ई' के साथ जमा किया जा सकता है (जो ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय ऑनलाइन सिस्टम पर सृजित होगा), इस पर संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके जमा किया जाना होगा। न्यास की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का न्यास के साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष है। पंजीकरण के नवीकरण के लिए, गैर सरकारी संगठनों को पंजीकरण की समाप्ति से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 568 है। दिनांक 1.4.2021 से 31.3.2022 की अवधि में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की संख्या 183 है। राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.thenationaltrust.gov.in) पर पंजीकृत संगठनों (RO) की राज्य-वार और जिले-वार सूची देखी जा सकती है।

7. राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)

राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वय/संपर्क स्थापित करने के लिए हर राज्य में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (SLCC) की बैठकें, प्रलेखन/रिपोर्टिंग, समन्वयक के लिए मानदेय एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए धन प्रदान करता है। वर्तमान में देश में 28 राज्य नोडल एजेंसी केंद्र हैं।

वर्ष 2021-2022 के दौरान राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNAC) को 0.52 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। सभी राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNAC) की विस्तृत सूची राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.thenationaltrust.gov.in) पर उपलब्ध है।

8. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए हर राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रशासन को राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है। हर राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, जो दिव्यांगजन से संबन्धित कार्य को देखते हैं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है एवं संबंधित प्रदेश के राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) को समिति का संयोजक बनाया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:-

प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक कल्याण _____ अध्यक्ष
 आयुक्त (निशक्तता) _____ उपाध्यक्ष
 निदेशक, समाज कल्याण _____ सदस्य
 राज्य नोडल एजेंसी केंद्र _____ सदस्य सचिव
 1 एनजीओ सदस्य स्थानीय स्तरीय समिति _____ सदस्य
 (प्रत्येक 10 जिलों से)

अब तक 30 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

9. योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी की गई निधि:

9.1 दिशा (0-10 वर्षों के लिए बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित चार प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0 से 10 वर्ष तक की आयु समूह वाले बच्चों के लिए बाल्य – कालिक और स्कूल तैयारी की योजना है। इस योजना का लक्ष्य दिशा केंद्र स्थापित करना है और दिव्यांगजन के बाल्य काल में ही चिकित्सा, प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के जरिये शीघ्र हस्तक्षेप करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दिन में कम से कम 4 घंटे (प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) दिव्यांगजन की देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें आयु-विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं। दिशा केंद्र में दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षकों अथवा बाल्यकालिक हस्तक्षेप थेरापिस्ट, फिजिओथेरेपिस्ट अथवा ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और काउन्सलर तथा देखभालकर्ता और आया की व्यवस्था होती है।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान 3987 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 13.52 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 399 दिव्यांगजनों को 31 दिशा केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 1.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.2 विकास (10 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग के लिए दिन में देखभाल)

यह दिन में देख-भाल की योजना है जिसका उद्देश्य, उन दिव्यांगजन जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक हैं जो बढ़ती हुई उम्र में हैं, के लिए अवसरों का विस्तार करना है ताकि उसके अंतर-वैयक्तिक एवं रोजगारपूरक कौशल में वृद्धि हो सके। जितने समय दिव्यांग विकास केन्द्र में रहता है, उतने समय केन्द्र उस व्यक्ति की देख-भाल की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहायता करने में भी उनको मदद करता है, ताकि दिन में उन्हें अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय मिल सके। पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांगजन को दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 से अपराह्न 6 बजे के बीच) देख-भाल की सुविधा प्रदान करनी होती है, जिसमें आयु-विशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं विकास केंद्र महीने में कम से कम 21 दिन खुलता है।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान, 6448 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 23.27 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 783 दिव्यांगजनों को 33 विकास केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 3.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.3 दिशा सह-विकास योजना (डे-केयर)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर, 41 पंजीकृत संगठनों को 1.4.2018 से विलय दिशा-कम-विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गयी।

पिछले 4 वर्षों के दौरान, 4535 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और योजना के तहत 20.10 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1232 दिव्यांगजनों को 43 दिशा-सह-विकास केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 5.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.4 समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनार्यों अथवा संकटग्रस्त परिवारों और बी.पी.एल. तथा एल.आई.जी परिवारों से आने वाले दिव्यांगजन को और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत शामिल चार विकलांगताओं में से कम से कम एक विकलांगता के अंतर्गत आते हों। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अवसर पैदा करना है कि वे अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहतकारी समय पा सकें।

इस योजना का उद्देश्य ऐसा समर्थ केन्द्र की स्थापना करना है जहाँ सभी आयु समूह के लिए सामूहिक गृह सेवा मिल सके, और जिसमें देखभाल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन स्तर की सुविधाओं के साथ-साथ पेशेवर चिकित्सक द्वारा बुनियादी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान, 2008 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 10.73 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 387 दिव्यांगजनों को 13 समर्थ केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 1.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.5. घरोंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)

घरोंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन को जीवन भर के लिए न्यूनतम आधारभूत गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करना है। घरोंदा केंद्र में रोजगारपूरक गतिविधियों, रोजगार-पूर्व तथा आगे के प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। यह योजना पूरे देश में निश्चित तौर पर देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है जो दिव्यांगजन को स्थायी तौर पर स्वतंत्रता और गरिमा के साथ रहने को प्रोत्साहित करती है।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान, 1725 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 18.18 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 450 दिव्यांगजनों को 24 घरोंदा केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 3.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.6. समर्थ-सह-घरोंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो कई परियोजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1.4.2018 से विलय समर्थ-सह-घरोंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी।

पिछले 4 वर्षों के दौरान, 994 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और योजना के तहत 7.36 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 351 दिव्यांगजनों को 13 समर्थ-सह-घरोंदा केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है और 2.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.7 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास ने स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वयन किया है और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना के तहत, 1 लाख रुपये का बीमा कवर है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन-सुविधा शामिल हैं। उपचार किसी भी अधिकृत चिकित्सक/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से लिया जा सकता है। यह योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करती है।

यह योजना 568 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से पूरे देश में चलाई जा रही है जो दिव्यांगजन को ऑनलाइन आवेदन भरने में सहायता करते हैं। उपर्युक्त रोगों से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति मामूली शुल्क देकर लाभ उठा सकता है। 2021-22 से योजना के तहत नवीकरण, माता-पिता/अभिभावक स्वयं हमारे पोर्टल (<https://www.thenationaltrust.gov.in/auth/niramaya-e-card.php>) के माध्यम से कर सकते हैं।

ऐसे दिव्यांगजन के लिए नामांकन/नवीकरण शुल्क देय नहीं है जिनके कानूनी अभिभावक जैविक माता-पिता के अलावा कोई और हैं। 1 लाख रुपये के लाभ चार्ट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा आंतरिक स्तर पर संशोधित किया गया है।



1 लाख रुपये के बीमा कवरेज वाले संशोधित चार्ट को योजना (Policy) वर्ष 2022-23 से लागू किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हंस फाउंडेशन ने राष्ट्रीय न्यास की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा है और हम उनकी भागीदारी के साथ अपने क्षितिज का विस्तार करने की आशा करते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 113292 दिव्यांगजन को नामांकित किया गया है। कुल 18852 दावों का निपटान किया गया जिनका मूल्य रु. 8.82 करोड़ रु. था। वर्ष के दौरान 11.38 करोड़ रु. का व्यय हुआ। वर्तमान में यह योजना मेसर्स ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

10. संपर्क – 'जरूरत के समय में योजना'

राष्ट्रीय न्यास ने 1-11-2019 को 'संपर्क – जरूरत के समय में योजना' शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजन को चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रत्येक कार्यक्रम के पहले दिन से 100 दिनों की अवधि के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। संपर्क योजना को सुपर साइक्लोन प्रभावित ओडिशा के 10 जिलों और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में लागू किया गया था। इस समय संपर्क योजना 'तौकते' और 'यास' चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के 3 जिलों, गुजरात के 9 जिलों, ओडिशा के 9 जिलों और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में लागू की जा रही है। योजना की 100 दिनों की अवधि 8-11-2021 को समाप्त हुई। लेकिन, इस योजना के अनूठे स्वरूप के कारण, जिसके लिए पंजीकृत संगठनों, माता-पिता और क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर व्यक्तियों के बीच बहुत प्रचार और समन्वयन की आवश्यकता होती है, इस योजना को 27-5-2022 तक बढ़ाया गया है।

11. राष्ट्रीय डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाएँ और उत्तर-पूर्व शिखर सम्मेलन

राष्ट्रीय न्यास ने 7 अगस्त, 2021 को बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाएँ और उत्तर-पूर्व शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया। अपनी तरह के पहले इस शिखर सम्मेलन



दिनांक 7 अगस्त 2021 को माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर राष्ट्रीय कान्फ्रेंस एवं नार्थ ईस्ट समिट को संबोधित करते हुए

का आयोजन वास्तविक और आभासी दोनों मोड में किया गया था जिसमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव) का उत्सव मनाते हुए, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन को डिजिटल प्रौद्योगिकी के संबन्ध में सशक्त बनाना और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यकलाप से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि करना था। डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, माननीय राज्य मंत्रियों, कु. प्रतिमा भौमिक और श्री ए. नारायणस्वामी ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, श्री निकुन्ज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास और श्री किशोर बाबूराव सुरवाडे, उप महानिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी उपस्थित थे। आभासी मोड के माध्यम से इस सम्मेलन में संगठनों, पेशेवर व्यक्तियों और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

12. जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलाप के विस्तार पर बैठक

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन, अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और हाल ही में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में इन संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करने के चलते, राष्ट्रीय न्यास ने संघ राज्यक्षेत्रों में अपने कार्यकलाप शुरू किए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकार के अधिकारियों के साथ 31 अगस्त 2021 को एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, उप महानिदेशक- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के डीएम, सीएमओ, डीएसडब्ल्यूओ, गैर-सरकारी संगठन, माता-पिता और पेशेवर व्यक्ति उपस्थित थे। बैठक में 268 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलाप, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना और एक रोडमैप तैयार करना था।



माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार, जम्मू एवं कश्मीर, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, उप महानिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और आभासी बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति।

13. वार्षिक आम बैठक (AGM) 2021


राष्ट्रीय न्यास की इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक सुश्री अंजली भावड़ा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से 28 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के सभी सदस्यों और 383 पंजीकृत संगठनों ने बैठक में भाग लिया। वार्षिक रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बोर्ड के सदस्यों ने राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलाप, विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों और कोविड-19 के दौरान हमेशा की तरह के अपने कार्यकलाप को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय न्यास के प्रयासों की सराहना की। खुले सत्र में प्रतिभागियों ने कई सवाल उठाए, जिनका उत्तर राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने दिया।



सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास 28 सितंबर, 2021 को 21वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करती हुईं

14. "संपर्क— जरूरत के समय में" योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन

12 और 13 अक्टूबर, 2021 को संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में इस योजना के संबंध में दो दिवसीय आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें योजना से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्य, श्री मृत्युंजय झा, उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से आए पेशेवर व्यक्ति; श्री पंकज मारू, पूर्व SNAC मध्य प्रदेश के समन्वयक ने भी इस आभासी बैठक में भाग लिया और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझाया; जैसे कि यूडीआईडी कार्ड का जारी किया जाना, निरामय योजना, टीएलएम किट आदि जारी करना। ओडिशा, जहाँ पहले चरण में यह योजना लागू की गई थी, वहाँ के बोर्ड सदस्य डॉ आशीष कुमार ने योजना की प्रशंसा की और कहा कि यह योजना बहुत लाभकर सिद्ध हुई है।



“संपर्क – जरूरत के समय में” योजना पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागी

15. अछूते राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण हेतु बढ़ावा देने के लिए उप-समिति की बैठक

अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जैसे अछूते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण करने हेतु बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति बनाने हेतु बोर्ड के सदस्यों की उप-समिति की 16 दिसंबर, 2021 को आभासी बैठक हुई। बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों, राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNAC) और कुछ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।



अछूते जिलों में गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए उप-समिति की बैठक के प्रतिभागी

16. भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा 28-29 दिसंबर, 2021 को गुवाहाटी, असम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा "नई शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास का रूपांतरण" पर 28-29 दिसंबर 2021 को गुवाहाटी, असम में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर श्रीमती प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, सदस्य सचिव तथा मुख्य सचिव, असम सरकार, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



मंच पर गणमान्य व्यक्ति। श्रीमति प्रतिमा भौमिक, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, श्री जिष्णु बरुआ, मुख्य सचिव, असम; सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

संगोष्ठी में प्रो. शुभा शंकर सरकार, कुलपति, एनएसओयू, कोलकाता; प्रो. राणा कृष्ण पाल सिंह, कुलपति, डीएसएमएनआरयू, लखनऊ; श्री यू.के. शुक्ला, प्रो. निदेशक, राष्ट्रीय न्यास

17. 4 और 5 मार्च, 2022 को केवडिया, गुजरात में दो दिवसीय संवेदीकरण शिविर

राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने 4 और 5 मार्च, 2022 को केवडिया, गुजरात में दो दिवसीय संवेदीकरण शिविर में भाग लिया। ब्लाइन्ड पीपुल एसोसिएशन, अहमदाबाद नामक एसएनएसी, गुजरात के साथ समन्वयन करके दिव्यांगजन द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक स्टाल भी बनाया गया था।




माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय 4 मार्च, 2022 को केवडिया, गुजरात में नेशनल ट्रस्ट के स्टाल का दौरा करते हुए



18. 21 मार्च 2022 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर एक आभासी (वर्चुअल) बैठक

डाउन सिंड्रोम के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 21 मार्च 2022 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। डॉ. सुरेखा रामचन्द्रन, अध्यक्ष, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ने आभासी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय न्यास के स्टेट नोडल एजेंसी केंद्रों और पंजीकृत संस्थाओं ने भाग लिया।



डॉ. सुरेखा रामचन्द्रन, अध्यक्ष, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन, वर्चुअल मीटिंग में अपना भाषण देते हुए



वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए डॉ. आलोक भुवन, मनोविकास चैरिटेबल सोसायटी, दिल्ली

19. हितधारकों के विभिन्न समूहों से जुड़े अनेक मुद्दों पर राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित आभासी बैठक

- क. **2 अप्रैल, 2021 को विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस का आयोजन**— कार्यक्रम निदेशक और उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने 2 अप्रैल, 2021 को विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर आभासी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए। इस बैठक को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यकलाप के बारे में विवरण दिया गया तथा स्वपरायणता के बारे में राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन सामग्री के संबंध में प्रतिभागियों को समझाया गया।
- ख. **7 मई, 2021 को राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNAC) के साथ आभासी बैठक**— इस बैठक में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यकलाप के सुचारु कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जागरूकता फैलाने में सिविल सोसायटी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
- ग. **राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आभासी बैठक** — प्रत्येक राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) द्वारा 17 मई 2021 से 24 जून 2021 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आभासी बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय न्यास के सभी पंजीकृत संगठनों (आरओ), राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों और बोर्ड के कुछ सदस्यों ने भाग लिया। इस आभासी बैठक में संबंधित विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी भाग लिया जिसमें राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यकलाप के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आभासी बैठक के दौरान राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- घ. **5^{वां} उत्तर-पूर्वी भारत फैशन वीक (एनईआईएफडब्ल्यू) 2021 का आयोजन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित किया गया**— 23 और 24 जुलाई, 2021 को आयोजित फैशन सप्ताह में कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय न्यास की सेवाओं और संसाधनों

पर आयोजित सत्र में अपने विचार रखे जिनमें उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

- ड. **शिक्षण और अधिगम सामग्री (TLM) किट का वितरण**— राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद से शिक्षण और अधिगम सामग्री (TLM) किटें खरीदीं और उन्हें केंद्र आधारित योजनाओं अर्थात्— दिशा, विकास, समर्थ और घरोंदा आदि के लाभार्थियों को वितरित किया। इन किटों के उपयोग पर एक बैठक 26 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद के सहयोग से आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय न्यास के सभी परियोजना कर्मी, राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNAC) आदि ने भाग लिया।
- च. **बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों के लिए सहायक जीवनयापन कार्यक्रम पर आभासी बैठक** — आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में 'वयस्क दिव्यांगजन सहायता कार्यक्रम' पर 7 सितंबर 2021 को एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 'सहायक जीवनयापन कार्यक्रम' के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में घरोंदा योजना के परियोजना कर्मियों ने भाग लिया।
- छ. **'बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रशिक्षण' पर आभासी बैठक** — 14 सितंबर 2021 को 'आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रशिक्षण' पर एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया था। दिशा योजना के परियोजना कर्मियों ने इस बैठक में भाग लिया और अपनी अच्छी परिपाटियों को सबके साथ साझा किया।
- ज. **पंजीकृत संगठनों और विभिन्न योजनाओं के परियोजना कर्मियों के साथ आभासी बैठक**— विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत संगठनों और परियोजना कर्मियों के साथ आभासी बैठक 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर, 2021 तक दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई थी जिसमें दिशा (0 से 10 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना), विकास (10 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लिए डे केयर योजना), समर्थ (राहतकारी आवासीय देखभाल योजना—रेसपाईट केयर रेजिडेंशियल स्कीम) और घरोंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक आवास योजना) शामिल है। बैठक में परियोजना कर्मियों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की।
- झ. **5/6 राज्यों की आभासी बैठकें**— राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संगठनों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 6 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक प्रति दिन 5/6 राज्यों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी।
- ञ. **राष्ट्रीय न्यास स्थापना दिवस**— राष्ट्रीय न्यास ने 30 दिसम्बर, 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसमें कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय न्यास के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर चर्चा की गई और राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलाप के बेहतर कार्यान्वयन की योजना पर चर्चा की गई।

20. शिकायत निवारण

भारत सरकार के जन शिकायत पोर्टल (PG Portal) पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निवारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी समय से निवारण किया जाता है।

21. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में संशोधन

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में संशोधन से संबंधित प्रमुख कार्य वर्ष 2019-2020 में पूरा किया गया था, तथापि इसमें और सुधार करने के बाद अंततः इसे अगस्त 2020 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत किया गया था।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय न्यास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अनुरूप अपील प्राधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

अपील प्राधिकारी

श्री यू.के. शुक्ला
कार्यक्रम निदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर,
नई दिल्ली- 110060
टेली: 011-43187804
ई-मेल: ala@thenationaltrust.in

लोकसूचना पदाधिकारी

श्री नवनीत कुमार
उप निदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर,
नई दिल्ली- 110060
टेली: 011-43187805
ई-मेल: po@thenationaltrust.in

2021-22 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय न्यास को 18 सूचना का अधिकार आवेदन ऑफलाइन और 130 सूचना का अधिकार आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों और अपीलों का समय-सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया है।

23. अस्वीकरण

हिंदी और अंग्रेजी रिपोर्ट के बीच सामग्री के संबंध में किसी भी अंतर/विसंगति के मामले में, किसी भी निष्कर्ष को निकालने के लिए अंग्रेजी संस्करण को स्वीकार/प्रचलित किया जाएगा।



समर्थ सशक्त

संगठित



**वार्षिक
लेखा**

2021-22

राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास



वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(सभी आंकड़े रूपयों में)

संचित निधि/पूजी निधि और देनदारियाँ :	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संचित निधि	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
पूजी निधि/आरक्षित	1	325,956,420.00	271,337,682.00
आरक्षित और अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित/अक्षय निधि	3	2,822,935.00	2,810,085.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण और उधार	5	0.00	0.00
स्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	19,842,030.00	16,223,507.00
कुल:		1,348,621,385.00	1,290,371,274.00
संपत्ति:			
अचल संपत्ति	8	1,984,547.00	2,179,150.00
निवेश-संचित निधि से	9	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
अन्य निवेश	10	60,000,000.00	60,000,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	286,636,838.00	228,192,124.00
विविध व्यय		0.00	0.00
(बट्टा खाते में या समायोजित नहीं की गयी सीमा तक)			
कुल:		1,348,621,385.00	1,290,371,274.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा

(सभी आंकड़े रूपयों में)

आय:	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजन	13	281,400,000.00	298,000,000.00
शुल्क/सदस्यता	14	29,999,551.00	25,732,272.00
निवेश से आय (आरबीआई बांड में)	15	81,866,667.00	84,800,000.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	7,444,069.00	6,473,342.00
अन्य आय	18	8,343,287.00	5,618,285.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	0.00	0.00
कुल (क)		409,053,574.00	420,623,899.00
व्यय			
स्थापना खर्च	20	27,021,116.00	24,408,235.00
प्रशासनिक व्यय आदि	21	14,246,512.00	13,858,015.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	312,844,202.00	293,232,149.00
ब्याज, आदि	23	0.00	0.00
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	323,006.00	369,622.00
कुल (ख)		354,434,836.00	331,868,021.00
बकाया आय की व्यय पर आधिक्य		54,618,738.00	88,755,878.00
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व/पूजी रिजर्व में स्थानांतरण		54,618,738.00	88,755,878.00
पूजीगत रिजर्व/पूजी रिजर्व में स्थानांतरण			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकास्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियाँ और भुगतान

(सभी आंकड़े रूपयों में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष (रुपए)	पिछला वर्ष (रुपए)	भुगतान I. व्यय	चालू वर्ष (रुपए)	पिछला वर्ष (रुपए)
I. प्रारंभिक शेष			क) स्थापना व्यय: अनुसूची 20 के अनुसार: रु. 2,70,21,116/- घटायें: वेतन और मजदूरी देय रु. 14,53,454 ; घटायें: डी.सी.आर.जी./अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान रु. 36,75,332 /- (17,05,865+19,69,467) जोड़ें: डी.सी.आर.जी./अवकाश नकदीकरण भुगतान रु. 80,895 /- (50,432+30,463), जोड़ें: पिछला वर्ष वेतन एवं मजदूरी भुगतान रु. 15,12,599 /-	23,485,824.00	23,068,924.00
क) हाथ में नकदी	0.00	14,605.00	ख) प्रशासनिक व्यय (तदनुसार अनुसूची 21 के लिए) रु. 1,42,46,512 /- घटायें: किराया भुगतान: रु. 8,58,000 / - जोड़ें: पिछला वर्ष किराया भुगतान रु. 7,80,000 /-	14,168,512.00	13,078,015.00
ख) बैंक शेष:			ग) देय धनराशि (पिछले वर्ष योजनाओं से संबंधित बकाया)	0.00	0.00
i) चालू खाते में	0.00	0.00	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के एवज में भुगतान		
ii) बचत खाते में	207,990,878.00	116,986,381.00	क) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान (अनुसूची 22 के अनुसार)	312,844,202.00	293,232,149.00

iii) एफ.सी.आर.ए खाता	210,085.00	210,085.00	III. जमा और निवेश राशि		
II. प्राप्त अनुदान:			क) आरबीआई बॉन्ड में निवेश		0.00
राज्य सरकार से	0.00	0.00	ख) अन्य निवेश- बैंक सावधि जमा	500,000,000.00	0.00
III. निवेश पर आय:			IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय और चल रही कार्य पूंजी		
क) आरबीआई बॉन्ड पर ब्याज: अनुसूची-15 के अनुसार: ₹. 8,18,66,667/- जोड़े: पिछले वर्ष की प्राप्त उपाजित ब्याज ₹. 1,41,33,333 तथा घटाएँ: 31.3.2022 को अर्जित ब्याज ₹. 74,66,667/-	88,533,333.00	84,800,000.00	क) अचल संपत्तियों की खरीद	128,403.00	187,405.00
ख) अन्य निवेश:	0.00	0.00	V. अधिशेष राशि / कर्ज वापसी		
IV. प्राप्त ब्याज			क) भारत सरकार को	0.00	0.00
क) बैंक जमा पर (बचत बैंक)	7,444,069.00	6,473,342.00	ख) राज्य सरकार को	0.00	0.00
V. अन्य प्राप्तियाँ / आय (उल्लेखित)			VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
क) निरमाया शुल्क: i) नामांकन / नवीनीकरण ₹. 2,06,14,632/- (ii) हंस फाउंडेशन ₹. 85,81,617/-	29,196,249.00	25,602,270.00	तदनुसार (अनुसूची 23)	0.00	0.00
ख) सहायता अनुदान समा. न्या. व अधि. मंत्रा. से प्राप्त	281,400,000.00	298,000,000.00	VII. अन्य भुगतान (उल्लेखित)		
ग) दान	8,178,508.00	5,341,708.00	1 कार्यालयों को प्रेषित:		
घ) एफसीआरए वीएसओ (ब्याज)	12,850.00		क) जीवन बीमा निगम	21,600.00	58,648.00
ङ) पंजीकरण शुल्क	803,302.00	130,002.00	ख) नई पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए	2,674,805.00	2,548,157.00
च) आर.टी.आई. शुल्क	20.00	0.00	ग) ए.जी. उड़ीशा	582,960.00	4,882,960.00
छ) अपशिष्ट सामग्री की बिक्री	100,000.00	0.00	घ) निदेशालय सम्पदा	690,120.00	690,120.00
ज) विविध प्राप्तियाँ / आय	64,759.00	0.00	ञ) सी.जी.एच.एस.	12,000.00	12,000.00
VI. राशि उधार	0.00	0.00	च) एच.बी. अग्रिम (एस.के. दुकराल)	0.00	276,577.00
VII. अन्य कोई रसीद :					
क) लेतिका सरकार एंडोमें फंड (ब्याज)	0.00	190,000.00			

ख) आर.बी.आई. बैंड की परिपक्वता	500,000,000.00					
VIII. अन्य कार्यालयों को भेजी गयी रकम की वसूली						
क) विविध अग्रिम :	0.00	36,868.00				36,868.00
ख) ए.जी. (उड़ीसा)	582,960.00	4,882,960.00				0.00
ग) जीवन बीमा निगम	21,600.00	59,278.00				190,000.00
घ) नई पेंशन योजना (सीपीएस) के लिए वसूली	2,674,805.00	2,548,157.00				72,479.00
ङ) सम्पदा निदेशालय	690,120.00	690,120.00				0.00
च) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	12,000.00	12,000.00				284,511.00
छ) प्रधानमंत्री राहतकोष	0.00	36,397.00				60,000.00
ज) परिवहन भत्ता वसूली (कर्मचारी)	0.00	252,720.00				36,397.00
झ) एच.बी. अग्रिम (ब्याज)	55,320.00	276,577.00				252,720.00
IX. वसूली, रिफंड और अग्रिम का समायोजन						
क) सुरक्षा जमा अनुबंध कर्मचारी	10,000.00	0.00				1,781,949.00
ख) आकस्मिक अग्रिम	136,200.00	83,279.00				10,000.00
ग) चिकित्सा अग्रिम	75,000.00	0.00				30,000.00
घ) यात्रा अग्रिम	36,679.00	0.00				
ङ) एलटीसी रिफंड (Adj.)	57,760.00	419,605.00				
च) गृह निर्माण अग्रिम	0.00	46,512.00				0.00
छ) त्यौहार अग्रिम	36,000.00	24,000.00				
ज) कंप्यूटर अग्रिम	12,000.00	0.00				0.00
झ) टी.डी.एस. (तेकेदार)	1,277,944.00	1,238,512.00				208,200,963.00
ञ) टी.डी.एस. (वेतन)	2,104,905.00	1,789,749.00				
ट) अवाधि बाधित चेक		0.00				
कुल	1,131,717,346.00	550,145,127.00	550,145,127.00	1,131,717,346.00	550,145,127.00	550,145,127.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-1

अनुसूची 1 – संचित/पूँजी निधि	(सभी आंकड़े रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संचित निधि		
वर्ष के प्रारम्भ में जमा राशि	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
जोड़ें: संचित निधि की दिशा में योगदान	0.00	0.00
जोड़ना / (घटाना): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय का शेष आय / (व्यय)	0.00	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
पूँजी निधि/आरक्षित निधि		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि:	271,337,682.00	182,581,804.00
जोड़ें: आय से अधिक व्यय	54,618,738.00	88,755,878.00
कटौती:-	0.00	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि:	325,956,420.00	271,337,682.00
		271,337,682.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमत्तिष्कघात, मानसिक मदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-2

अनुसूची-2 भंडार और अधिशेष:	(सभी आंकड़े रूपयों में)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		
कम: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		
कम: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		
कम: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार		
कम: पूंजी निधि के अंतर्गत दर्शाए गए पिछले वर्षों में खरीदी गई अचल संपत्तियों की लागत का समायोजन		
इसके अलावा वर्ष के दौरान पूंजी निधि के अंतर्गत व्यय से अधिक आय का रिजर्वेशन के लिए		
पूंजीगत निधि में हस्तांतरित अचल सम्पत्तियों की लागत/जमा		
कम: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	शून्य	शून्य

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-3

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 3 - निधारित/अक्षय निधि:	निधि आधारित आंकड़े		योग	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) एफसीआरए की प्रारंभिक जमा राशि - रु. 2,10,085 /-; डॉ. लोतिका सरकार अक्षय निधि - रु. 26,00,000 /-)	2,810,085.00	2,810,085.00	2,810,085.00	2,810,085.00
ख) वर्ष के दौरान धन के अलावा				
i) एफ.सी.आर.ए. वीएसओ (व्याज)	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
ii) डॉ. लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ख)	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय हस्तांतरित / व्यय				
i) एफ.सी.आर.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) डॉ. लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) वर्ष के अंत में शेष (क+ख+ग)				
i) एफ.सी.आर.ए.	222,935.00	210,085.00	222,935.00	210,085.00
ii) डॉ. लोतिका सरकार अक्षय निधि	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
कुल (घ)	2,822,935.00	2,810,085.00	2,822,935.00	2,810,085.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-4, 5 और 6

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार;	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण और उधार;				
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
क) सावधि ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल				
नोट: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				
अनुसूची 6: स्थगित ऋण देयताएँ:				
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल				
नोट: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				



राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलना-पत्र के रूप में अनुसूची-7

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 7: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल		कुल
क. वर्तमान देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ	0.00	0.00		
2. विविध लेनदार				
क) जमा सुस्का राशि (फर्मों द्वारा ₹. 1,85,000 /- व सांविदा कर्मचारी द्वारा ₹. 62,000 /-)	247,000.00	247,000.00	237,000.00	
3. वेतन और मजदूरी बकाया	1,453,454.00	1,453,454.00	1,512,599.00	
4. किराया देय: कार्यालय भवन	858,000.00	858,000.00	780,000.00	
5. सांविधिक देयताएं-	0.00	0.00	0.00	
6. अन्य	0.00	0.00	0.00	2,529,599.00
कुल (क)	2,558,454.00	2,558,454.00	2,529,599.00	2,529,599.00
ख. प्रावधान				
1. कर लगाने के लिए (टीडीएस- ठेकेदार ₹. 82,318+ टीडीएस - वेतन ₹. 4,940 /-)	87,258.00	87,258.00	92,027.00	
2. ग्रेज्युटी	8,057,668.00	8,057,668.00	6,402,235.00	
3. अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान	8,990,687.00	8,990,687.00	7,051,683.00	
4. अन्य (अवधि बाधित चेक पर देयताएँ)	147,333.00	147,333.00	147,333.00	
5. एल.आई.सी.	630.00	630.00	630.00	
कुल (ख)	17,283,576.00	17,283,576.00	13,693,908.00	13,693,908.00
कुल (क+ख)	19,842,030.00	19,842,030.00	16,223,507.00	16,223,507.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-8

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 8: अचल सम्पत्तियाँ विवरण	कुल खंड				मूल्यहास				कुल शुद्ध संपत्ति	
	लागत/वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान निपटारा	लागत / मूल्यांकन वर्ष के अंत में	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. मृग्मि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. इमारतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. फनीचर, फिक्सर	3,679,175.00	0.00	947,775.00	2,731,400.00	2,436,852.00	124,232.00	947,775.00	1,613,309.00	1,118,091.00	1,242,323.00
5. कार्यालय उपकरण	2,964,374.00	0.00	1,855,534.00	1,108,840.00	2,153,468.00	121,636.00	1,855,534.00	419,570.00	689,270.00	810,906.00
6. कंप्यूटर/बाहरी उपकरण	4,888,869.00	128,403.00	3,701,530.00	1,315,742.00	4,768,394.00	73,870.00	3,701,530.00	1,140,734.00	175,008.00	120,475.00
7. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	273,229.00	0.00	0.00	273,229.00	267,783.00	3,268.00	0.00	271,051.00	2,178.00	5,446.00
8. प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. अन्य अचल संपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	11,805,647.00	128,403.00	6,504,839.00	5,429,211.00	9,626,497.00	323,006.00	6,504,839.00	3,444,664.00	1,984,547.00	2,179,150.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-9 तथा 10

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 9 – संचय निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
3. शेयर	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): (i) आरबीआई बांड में जमा - रु. 56,00,000 / -	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रु. 44,00,00,000 / -	0.00	0.00
कुल	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
अनुसूची 10 – अन्य-निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (आरबीआई बांड)	-	60,000,000.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि/पलेक्सी जमा	60,000,000.00	0.00
कुल	60,000,000.00	60,000,000.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-11

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि:	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान संपत्तियां:		
1. सूची:		
क) संग्रहित एवं बाहरी	0.00	0.00
ख) खुली सहायक सामग्री	0.00	0.00
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड (प्रकाशन)	0.00	0.00
आरंभिक स्टॉक:	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.00	0.00
घटाएँ: मुप्त वितरण	0.00	0.00
घटाएँ: नकदी हेतु विक्रय	0.00	0.00
वर्ष के बंद में जमा शेष	0.00	0.00
2. विविध देनदार:		
क) ऋण छह माह से अधिक के लिए	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00
3. उपलब्ध शेष नकदी (चेक/ड्राफ्ट और रकम सहित)	0.00	0.00
4. बैंक बैलेंस:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खातों पर	0.00	0.00
- जमा खातों पर	0.00	0.00
- बचत खातों पर		
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खातों पर	273,349,611.00	208,200,963.00
- बचत खातों पर	0.00	
- चालू खातों पर	0.00	0.00

- जमा खातों पर	0.00			0.00	0.00	0.00
- बचत खातों पर	0.00			0.00	0.00	0.00
5. डाकघर - बचत खाता	0.00			0.00	0.00	0.00
कुल (क)	273,349,611.00			273,349,611.00	208,200,963.00	208,200,963.00
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियाँ						
1. अग्रिम:						
(क) आकस्मिक अग्रिम	10,000.00			10,000.00	7,200.00	7200.00
2. अग्रिम और अन्य नकद में वसूली योग्य राशि या दूसरे प्रकार में प्राप्त होने वाला मूल्य						
(क) पूंजी खाते पर	0.00			0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य पूर्व भुगतान	0.00			0.00	0.00	
(i) *मैसर्स एनएचएफडीसी (बी.के. अम्बाला के लिए) 3,33,000/- *मैसर्स एन.एस.के.एफ.डी.सी. दिल्ली (बी.के. अम्बाला के लिए) कर्नाटक में प्रदर्शनियों के लिए रु. 9,33,973/- * विज्ञान भवन, नई दिल्ली रु. 2,15,800/-	1,482,773.00			1,482,773.00	1,482,773.00	
(ii) डाक भेजने के लिए: मैसर्स शांति इंटरनेशनल रु. 22,242/- (बीके सामग्री) मैसर्स एम.आर.एस. इंटरनेशनल रु. 1,35,000/- (-वही-)	157,242.00			157,242.00	157,242.00	
(iii) कर्मचारियों के लिए अग्रिम: एच.बी.ए. - 1,81,969/- ; एल.टी.सी. रु. 14,576/-; यात्रा अग्रिम रु. 36,000/-; कंप्यूटर अग्रिम रु. 38,000/-	270,545.00			270,545.00	310,613.00	
(iv) सुरक्षा जमा राशि (किराया)	3,900,000.00			3,900,000.00	3,900,000.00	5,850,628.00
3. चर्पाजित आय						
क) आरबीआई बॉन्ड्स में से निवेश पर	7,466,667.00			7,466,667.00	14,133,333.00	
ख) अन्य निवेश पर	0.00			0.00	0.00	
ग) भारतीय स्टेट बैंक-प्रोत्साहन राशि	0.00			0.00	0.00	
घ) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (सहायता अनुदान)	0.00			0.00	0.00	14,133,333.00
4. दावा प्राप्त करने योग्य	0.00			0.00	0.00	0.00
कुल (ख)				13,287,227.00		19,991,161.00
कुल (क+ख)				286,636,838.00		228,192,124.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-12 एवं 13

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00
ग) स्कैप की बिक्री	0.00	0.00	0.00
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम और ससाधन प्रभार	0.00	0.00	0.00
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	0.00	0.00	0.00
ग) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज	0.00	0.00	0.00
घ) अनुरक्षण सेवाएं (संपर्कण/संपत्ति)	0.00	0.00	0.00
ङ) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00
कुल			
अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी (स्थिर अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)			
1. केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से बजटीय सहयोग)	281,400,000.00	281,400,000.00	298,000,000.00
2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से (जागरूकता सृजन प्रचार के तहत कार्यशालाओं के लिए)	0.00	0.00	0.00
3. सरकारी एजेंसियों	0.00	0.00	0.00
4. संस्थान/कल्याण निकाय	0.00	0.00	0.00
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00	0.00
6. प्रायोजकों	0.00	0.00	0.00
7. अन्य:	0.00	0.00	0.00
कुल	281,400,000.00	281,400,000.00	298,000,000.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-14 एवं 15

(Figures in Rupees only)

(सभी आंकड़े रुपयों में)

अनुसूची -14 फॉस/सदस्यता से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	0.00	0.00
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	0.00	0.00
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00	0.00
4. निरामय-स्वास्थ्य बीमा		
नामांकन/नवीकरण शुल्क	20,614,632.00	25,602,270.00
हंस फाउंडेशन द्वारा योगदान	8,581,617.00	0.00
अन्य वसूली	0.00	0.00
हंस फाउंडेशन द्वारा योगदान	29,196,249.00	25,602,270.00
5. पंजीयन शुल्क	803,302.00	130,002.00
कुल	29,999,551.00	25,732,272.00
अनुसूची -15 : निवेश से आय		
निवेश पर आय		
1. ब्याज		
क) आरबीआई बांड पर	81,866,667.00	84,800,000.00
2. लाभांश		
क) शेयरों पर	0.00	0.00
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00
कुल	81,866,667.00	84,800,000.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-16 एवं 17

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय	0.00		0.00
2) प्रकाशन से आय: प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री	0.00		0.00
3) अन्य (निर्दिष्ट): विविध कार्टेज आदि की बिक्री	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00		0.00
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज			
1) सावधि जमा पर			
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00
2) बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	7,444,069.00		6,473,342.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00
घ) अन्य	0.00	7,444,069.00	0.00
3) ऋणों पर			
क) कर्मचारियों को	0.00		0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
4) देनदारी एवं अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00
कुल	7,444,069.00	7,444,069.00	6,473,342.00



राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-18 एवं 19

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ			
क) स्वामित्व परिसंपत्ति	0.00		0.00
ख) अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, या निःशुल्क प्राप्त	0.00		0.00
2. आरबीआई बांड में जमा पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	0.00		0.00
3. दान	8,178,508.00		5,341,708.00
4. विविध प्राप्तियाँ/आय	64,759.00		276,577.00
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क	20.00		0.00
कुल	100,000.00	8,343,287.00	5,618,285.00
अनुसूची 19 - जारी कार्य एवं तैयार माल के भंडार में बढ़ोत्तरी/कमी		8,343,287.00	5,618,285.00
क) शेष माल	0.00	0.00	0.00
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00
- कार्य-प्रगति में	0.00	0.00	0.00
ख) कम: आरम्भिक भंडार	0.00	0.00	0.00
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00
- कार्य-प्रगति में	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बढ़ोत्तरी/कमी (क-ख)	0.00	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-20

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 20 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी (वेतन- 1,83,68,558+) संविदा कर्मचारियों का वेतन: रु. 20,95,551 / -)	20,464,109.00	19,279,957.00
ख) भत्ते और बोनस (बोनस - 48,356 / - + मानदेय 80,000 / -)	128,356.00	138,264.00
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय (एल.टी.सी.)	67,080.00	478,605.00
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय - डीसीआरजी / अवकाश नकदीकरण रु. 36,75,332 (+) नई पेंशन योजना रु. 15,60,304 / -	5,235,636.00	3,822,190.00
ङ) अन्य: स्थापना संबंधी व्यय (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 6,75,125 / - + शिक्षण शुल्क 4,19,000 / - + अखबार व्यय प्रतिपूर्ति - रु. 31,810 / -)	1,125,935.00	689,219.00
कुल	27,021,116.00	24,408,235.00



राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-21

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 21 - प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) बिजली	552520	471,070.00
ख) जल प्रभार	23040	7,817.00
ग) टेलीफोन शुल्क	552470	478,940.00
घ) मरम्मत एवं रखरखाव	138762	85,456.00
ङ) किराया, दर एवं कर	9438000	10,140,000.00
च) चालू वाहन और रखरखाव	355151	570,247.00
छ) डाक प्रभार	46028	5,880.00
ज) मुद्रण एवं स्टेशनरी	295203	305,046.00
झ) यात्रा और परिवहन व्यय (760454+25427)	785881	13,178.00
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	242220	167,180.00
ट) आतिथ्य व्यय / व्यय-विषयक	8586	6,157.00
ठ) पेशेवर शुल्क	58700	12,600.00
ड) विज्ञापन एवं प्रचार	42436	0.00
ढ) अन्य विविध व्यय + बैंक शुल्क + वस्त्र आदि (845765+846750+15000)	1707515	1,594,444.00
कुल	14,246,512.00	13,858,015.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमत्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-22, 23

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ	वर्तमान वर्ष	राशि (रु.)	पिछला वर्ष
(i) दिशा एवं विकास	107,150,119.00		127,050,748.00
(ii) समर्थ एवं धरोँदा	81,879,000.00		69,939,684.00
(iii) सहयोगी - केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना	266,800.00		0.00
(iv) निरामय - स्वास्थ्य बीमा योजना	113,837,469.00		88,108,851.00
(v) ज्ञान प्रभा	0.00		0.00
(vi) संभव	0.00		0.00
(vii) प्रेरणा- विपणन सहायता	0.00		0.00
(viii) बढ़ते कदम	122,450.00		128,920.00
(ix) संपर्क - आवश्यकता की घड़ी में	405000.00		25000.00
कुल (क)	303,660,838.00		285,253,203.00
ख) जागरूकता और प्रचार			
(i) प्रदर्शनी और रोजगार मेला	0.00		0.00
(ii) कार्यशालाओं / सेमिनार	691,645.00		150,000.00
(iii) वेबसाइट / साफ्टवेयर डेवलपमेंट	2,067,988.00		2,271,321.00
कुल (ख)	2,759,633.00		2,421,321.00
ग) संस्थान व्यवस्था, बैठकें और अन्य			
(i) एसएनएसी / एसएनएपी	5,232,162.00		4,416,797.00
(ii) स्थानीय स्तरीय समिति	770,350.00		829,700.00
(iii) वार्षिक आम बैठक	169,768.00		155,351.00
(iv) बोर्ड बैठक	225,270.00		71,948.00
(v) अन्य विविध बैठकें	26,181.00		83,829.00
कुल (ग)	6,423,731.00		5,557,625.00
घ) अनुसंधान अध्ययन एवं सर्वेक्षण			
अनुसंधान एवं सर्वेक्षण	0.00		0.00
कुल (घ)	0.00		0.00
कुल योग (क) से (घ)	312,844,202.00		293,232,149.00
अनुसूची 23 - ब्याज आदि			
क) स्थिर ऋणों पर	0.00		0.00
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00		0.00
ग) अन्य (निर्दिष्ट): बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने हेतु शुल्क	0.00		0.00

राष्ट्रीय न्यास
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के
कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-24

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. लेखांकन सम्मेलन:

वित्तीय विवरण वर्णनात्मक परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं बशर्ते कि वे लेखांकन की प्रोद्भूत विधि से तैयार न किए गए हों।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन:

2.1 स्टोर्स और स्पेयर्स, यदि कोई हो, का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित समान तथा निर्मित सामान की गणना कम लागत तथा कुल प्राप्ति मूल्य के आधार पर की जाती है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य है। निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित सामान की लागत माल, श्रम और संबद्ध ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

3. निवेश

3.1 "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, कमी का प्रावधान यदि कोई हो तो, इस प्रकार के निवेशों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत तथा स्पष्ट मूल्य पर किए जाते हैं इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान निवेश के लिए अलग-अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली (ब्रोकरेज), अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल है।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात के अलावा स्वयं के लिए तैयार किए गए सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निर्मित सामान यदि कोई हो – के प्रावधान पर तय की जाती है।

5. अचल परिसम्पत्तियाँ

5.1 अचल परिसम्पत्तियाँ की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबद्ध आंतरिक, भाड़ा, शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती है। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदान (संचय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूंजी निधि/आरक्षित निधि को अनुवर्ती ऋण के आधार पर बताया गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्यहास:

सम्पत्तियों पर हास की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार दर्शायी गयी दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष के समापन पर परिसम्पत्तियों के परिमाण पर की गई है। वर्ष के दौरान रुपये 3,23,006/- (अनुसूची-8) की राशि की आय एवं व्यय के लेखे में बढ़ा खाते में डाला गया है।

7. विविध प्रकार के खर्च:

स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, तो वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये लिखा गया है।

8. निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु लेखा-जोखा:

“निरामय” पर किए गए व्यय का लेखा तथा शुल्क आदि के मद में वसूली गई राजस्व को एकल खाता लेखा “स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं परियोजनाएं शीर्षक से में दर्ज किया गया है। तथापि, परियोजना पर किए गए कुल व्यय को शकार्यक्रम एवं परियोजनाएं के अन्तर्गत अनुसूची-22 में दिखाया गया है, तथा वर्ष के दौरान राजस्व वसूली की आय के रूप में “फीस/सदस्यता से आय” के अन्तर्गत अनुसूची-14 में दिखाया गया है।

9. सरकारी अनुदान/सहायता:

9.1 सरकारी अनुदान के रूप में किसी योजना लगाने के लिये लागत पूंजी के योगदान को सुरक्षित पूंजी की तरह लिया जाता है तथा अधिग्रहित विशेष अचल सम्पत्ति के संदर्भ में अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में दिखाया गया है।

9.2 अन्य सरकारी अनुदान को आय के रूप में अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजक शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची-13 में दिखाया गया है।

10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

10.1 विदेशी मुद्रा में अंकित लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत तक प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाम/हानि अचल परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित की जाती है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

11. लीज:

लीज किराया का व्यय, लीज के नियमानुसार किया गया है।

12. सेवानिवृत्ति लाभ:

12.1 कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के लिए अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान 31.03.2022 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में किया गया है। इसके अलावा 31.03.2022 की समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अवकाश नकदीकरण का प्रावधान भी किया गया है।

12.2 नए अंशदायी पेंशन योजना के आरंभ होने के परिणाम स्वरूप, पेंशनरों के लाभ के लिये ये प्रावधान किया जा रहा है एवं नियमित रूप से पी.एफ.आर.डी.ए. के पास जमा किया जाता है।

लेखा अधिकारी

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के रूप में अनुसूची-25

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएँ तथा लेखा टिप्पणियाँ :

1. आकस्मिक देयताएँ :

1.1 संगठन के विरुद्ध दावे जो कि ऋण के रूप में प्रतिपादित नहीं किये गए – रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. __शून्य)

1.2 निम्न के संबंध में:

- संगठन की ओर से/की तरफ से दी गई बैंक गारंटी – रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. __शून्य)
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए क्रेडिट पत्र – रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. __शून्य)
- बैंकों से छूट प्राप्त बिल– रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. __शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग:

- आयकर रु. __शून्य__ (पिछले वर्ष रु. __शून्य__)
- बिक्री कर रु. __शून्य__ (पिछले वर्ष रु. __शून्य__)
- निगम कर रु. __शून्य__ (पिछले वर्ष रु. __शून्य__)

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने हेतु संगठन द्वारा किये गये दावे – रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य__)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ :

पूंजी खाते से पूरा किए जाने वाला अनुमानित मूल्य जिनके लिए कुल अग्रिमों की व्यवस्था नहीं की गई – रु. शून्य__ (पिछले वर्ष रु. शून्य)

3. पट्टा (लीज) संबंधी वचनबद्धताएँ :

प्लांट एवं मशीनरी के लिए पट्टा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत किराए की भावी वचनबद्धताएं रु. __शून्य (पिछले वर्ष रु. __शून्य)

4. चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावासायिक रूप से उगाही पर निर्भर करते हुए तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई आय कर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

6.1 आयात की गणना सी.आई.एफ. पर आधारित है	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
- निर्मित सामान की खरीद	-	-
- कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ सहित)	-	-
- पूंजीगत सामान	-	-
- स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोज्य	-	-
6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:	शून्य	शून्य
क) यात्रा		
ख) वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज भुगतान		
ग) अन्य व्यय:		
- बिक्री पर कमीशन		
- कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय		
- विविध व्यय		

6.3 अर्जन:

एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
-----------------------------------	-------	-------

7. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षकों के लिए	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
- कराधान के मामले	0.00	0.00
- प्रबंधन सेवाएँ	0.00	0.00
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	रु. 2,42,220.00	रु. 1,67,180.00
- अन्य	0.00	0.00

8. अनुवर्ती आंकड़ों को पिछले वर्ष के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, इन्हें पुर्नसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

9. संलग्न 1 से 25 तालिकाएँ 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त आय एवं व्यय खाते का समग्र भाग है।

लेखा अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

